आरईसी विवेकपूर्ण मानक
(01 अप्रैल, 2011 के अनुसार अद्यतन)

तुलन पत्र और लाभ-हानि खातों की अनुसूची के रूप में सम्मिलित कारपोरेशन की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में, संक्षेप में, कारपोरेशन द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण मानकों का उल्लेख किया गया है। तथापि, आरईसी द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण मापदंडों को विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस की गई है । तदनुसार, इन विवेकपूर्ण मानकें को तैयार किया है और उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ये विवेकपूर्ण मानक सामान्यतः समय-समय पर यथासंशोधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानक (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के जरिए एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मानकों पर आधारित हैं, और जब तक परिवर्तन न किया गया हो वैसी ही भाषा रखी गई है।

1. आरईसी के ये विवेकपूर्ण मानक 01 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त होंगे, परंतु "क्रेडिट/निवेश का संकेन्द्रण" संबंधी मानक तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन मानकों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "अवशिष्ट मूल्य" का तात्पर्य ऐसी साधारण पूंजी और आरक्षतियों से है जो निवेशकारी कंपनी के साधारण शेयरों की संख्या से विभाजित करके अमूर्त परिसंपत्तियों और पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों से घटाई गई हैं ;

(ii) "वहन लागत" का तात्पर्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा उस पर उपचित परंतु अप्राप्त ब्याज से है ;

(iii) "चालू निवेश" का तात्पर्य ऐसे निवेश से है जो अपने स्वरूप के अनुसार तुरंत वसूलनीय है और उस तारीख से जिसको निवेश किया जाता है, एक वर्ष अनधिक के लिए धारित किया जाना अभिप्रेत है ;

(iv) " संदिग्ध परिसंपत्ति" का तात्पर्य -

(क) आवधिक ऋण, या

(ख) पट्टा परिसंपत्ति, या

(ग) किराया खरीद परिसंपत्ति, या

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति

से है जो 18 मास से अधिक की अवधि के लिए अवमानक परिसंपत्ति बनी रहती है;

(v) "उपार्जन मूल्य" का तात्पर्य ऐसे इक्विटी शेयर के मूल्य से है, जिसे अधिमान लाभांश से कर घटाने के पश्चात् लाभों का औसत निकालकर संगणित किया जाता है और ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों तक असाधारण तथा अनावर्ती मदों के लिए समायोजित किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित दरों पर निवेशकारी कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से फिर विभाजित तथा पूंजीकृत किया जाता है:-

(क) प्रमुखतः विनिर्माणी कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत ;

(ख) प्रमुखतः विपणन कंपनी के मामले में दस प्रतिशत ; और

(ग) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत ;

टिप्पणी : यदि कोई निवेशकारी कंपनी एक हानिकारित कंपनी हो, तो उपार्जन मूल्य शून्य माना जाएगा ।

(vi) "उचित मूल्य" का तात्पर्य उपार्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य के मध्यमान से है ;

(vii) " हाइब्रिड ऋण" का तात्पर्य ऐसी पूंजी लिखत से है जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों के कतिपय विशेषताएं हों।

(viiक) "अवसंरचना ऋण" का तात्पर्य ऐसी क्रेडिट सुविधा से है जो किसी उधार लेने वाले को आरईसी द्वारा अवधि ऋण, परियोजना वित्त पैकेज के भाग रूप में अर्जित परियोजना कंपनी में बंध पत्रों/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों/इक्विटी शेयरों के परियोजना ऋण अभिदान के रूप में इस प्रकार दी जाती है कि यह अभिदान रकम "अग्रिम प्रकृति" की हो या उधार लेने वाली निम्नलिखित में लगी कंपनी को प्रदान की गई दीर्घकालिक वित्तपोषित सुविधा का कोई अन्य प्रकार हो;

- विकासशील या
- प्रचालन तथा अनुरक्षण करना, या
- किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करना, उसे प्रचालित करना तथा अनुरक्षित अर्थात् ऐसी परियोजना जो निम्नलिखित में लगी है:

(क) उत्पादन या विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण का;

(ख) नई पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का बिछाकर विद्युत का पारेषण या वितरण;

(ग) वैसी ही प्रकृति की कोई अन्य अवसंरचना।

(viiख) "संयुक्त क्षेत्रक उधारकर्ता" एक ऐसी संस्था होगी जिसके संबंध में कम से कम 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी धारित की गई है या प्राइवेट क्षेत्र की सहभागिता सहित एक रूप से या संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम द्वारा आदाय की जानी प्रतिबद्ध है ।

(viii) "हानि परिसंपत्तियां" का तात्पर्य निम्नलिखित से है -

(क) कोई ऐसी परिसंपत्ति जिसे इस सीमा तक आरईसी द्वारा हानि आस्ति के रूप में अभिज्ञात किया गया है और इसे आरईसी द्वारा अपलिखित नहीं किया जाता है या आस्ति 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, संदिग्ध रहती है ।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जो या तो प्रतिभूति मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधार लेने वाले की ओर से किसी कपटपूर्ण कृत्य या चूक के कारण अवसूलनीयता की संभाव्य आशंका से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है ।

(ix) "दीर्घकालिक निवेश" का तात्पर्य चालू निवेश से भिन्न निवेश से है ;

(x) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का तात्पर्य उस विशिष्ट योजना के बारे में संबद्ध म्यूचुअल फंड द्वारा हाल ही में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य से है ;

(xi) "निवल बही मूल्य" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :-

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति की दशा में, ऐसी अतिदेय तथा प्राप्य भावी किस्तों का योग जो अपरिपक्व वित्त प्रभारों के अतिशेष से घटाकर आता है तथा जो इन मानकों के पैरा 8(2)(i) के अनुसार किए गए उपबंधों के द्वारा और घटाया जाता है ;

(ख) पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की दशा में, अतिदेय पट्टे के किराए के पूंजी भाग का योग जो प्राप्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है तथा पट्टा समायोजन लेखा के अतिशेष से समायोजित रूप में पट्टा परिसंपत्ति को मूल्यह्रास बही मूल्य ।

(xii) गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (जिन्हें इन मानकों में "एनपीए" के रूप में संदर्भित किया गया है)का तात्पर्य निम्नलिखित से है :-

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसके संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है ;

(ख) जब किस्त छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो या जिस पर ब्याज रकम छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है, अप्रदत्त ब्याज सहित आवधिक ऋण ;

(ग) ऐसी मांग या मांग ऋण जो मांग की तारीख से छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है या जिसको ब्याज रकम छह मास या अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही है ;

(घ) ऐसा कोई बिल जो छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है ;

(ङ) ऐसे अल्पकालिक ऋणों/अग्रिमों के प्रकार की "अन्य चालू परिसंपत्तियों" शीर्ष के अधीन प्राप्यों पर ऋण या आय के संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है ।

(च) ऐसी परिसंपत्तियें के विक्रय या की गई सेवाओं या हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई देय जो छह मास या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं ;

(छ) ऐसा पट्टा किराया और किराया खरीद की किस्त जो बारह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हुई;

(ज) उन ऋणों, अग्रिमों तथा अन्य क्रेडिट सुविधाओं (जिनके अंतर्गत क्रय किए गए तथा बट्टा किए बिल भी हैं), क्रेडिट सुविधाओं के अधीन बकाया अतिशेष (जिसमें उपचित ब्याज भी शामिल है) के संबंध में, जिन्हें, जब कोई उपरोव्त क्रेडिट सुविधाओं में से कोई क्रेडिट सुविधा गैर निष्पादन परिसंपत्ति बन जाती है, उसी उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है ।

(xiii) ""स्वधिकृत निधि"" का तात्पर्य ऐसे प्रदत्त इक्विटी पूंजी, अधिमान शेयर से है जो इक्विटी, मुव्त आरक्षतियों शेयर प्रीमियम लेखा में अतिशेष तथा परिसंपत्ति के विक्रय आगमों से उद्भूत अधिशेष के रूप में पूंजी आरक्षतियों में अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय हैं, जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित वे आरक्षतियां नहीं है जिन्हें संचित हानि अतिशेष, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से घटा दिया गया हो ।

(xiv) (क) "मानक परिसंपत्ति " का तात्पर्य

ऐसी परिसंपत्ति से है जो खंड 2 (1)(xii) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां नहीं हैं और जिसके संबंध में मूलधन की चुकौती या ब्याज के चुकौती में कोई व्यतिक्रम नहीं समझा जाता और जो किसी समस्या के न तो प्रकट करता है कारोबार से संबंधित अधिक सामान्य जोखिम को चलाता है और एक ऐसी मानक

परिसंपत्ति जिसे नीचे परिभाषित किया गया है ; और

" एक मानित मानक परिसंपत्ति" से

ऐसी सुविधा से है जो आरईसी को, उसके अप्रदत्त बकायों के लिए भुगतान करने हेतु केंद्रीय योजना आबंटन से कटौती के लिए राज्य सरकार के उपक्रम के संबंध में सरकारी यूटिलिटी के लिए बनाई जाती है ।

(xv) ""अवमानक परिसंपत्ति " का तात्पर्य -

(क) ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 18 मास से अनधिक की अवधि के लिए गैर-निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति से है जहां ब्याज और/या मूलधन संबंधी करार की शर्तें पर पुनः बातचीत से तय की गई या पुनःनिर्धारित की गई या पुनःसंरचित की गई हो वहां तब तक जब तक बातचीत से तय किए गए अनुसार या पुनःनिर्धारित किए गए अनुसार या पुनःसंरचित निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है :

परंतु किसी अवमानक परिसंपत्ति के रूप में अवसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैरा 13ख के उपबंधों के अनुसार होगा ;

(xvi) "अधीनस्थ ऋण" का तात्पर्य ऐसी पूर्णरूप से प्रदत्त पूंजी लिखत से है जो अप्रतिभूत है और अन्य लेनदारों के दावों के लिए अधीनस्थ है तथा प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त है और धारक के कहने पर या आरईसी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोचनीय नहीं है । ऐसी लिखत बही मूल्य नीचे दिए गए अनुसार बट्टे पर भुगतान के अध्यधीन होगी:

लिखतों की शेष परिपक्वता		बट्टे की दर (प्रतिशत)
(क)	1 वर्ष तक	100 प्रतिशत
(ख)	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष तक	80 प्रतिशत
(ग)	2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक	60 प्रतिशत
(घ)	3 वर्ष से अधिक परंतु 4 वर्ष तक	40 प्रतिशत
(ङ)	4 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक	20 प्रतिशत

ऐसे बट्टाकृत मूल्य की सीमा टियर- 1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(xvii) "सारभूत हित" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा लाभार्थ हित को धारण करने से है चाहे वे कंपनी के शेयरों में एकल रूप से या एक साथ लिए गए हो, भुगतान की गई ऐसी रकम जिस पर कंपनी की प्रदत्त पूंजी दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, या किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी ।

(xviii) "टियर-1 पूंजी" का तात्पर्य अन्य एनबीएफसी के शेयरों में तथा उसी समूह में अनुषगियों तथा कंपनियों को किए गए किराया खरीद और पट्टा वित्त तथा उनके पास निक्षेपों सहित शेयरों,

डिबेंचरों बंधपत्रों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में किए गए निवेश से घटाकर निकाली गई स्वधिकृत निधि से है, जो स्वधिकृत निधि के योग का दस प्रतिशत है ;

(xix) "टियर-।। पूंजी" में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) अनिवार्य रूप से इक्विटी में संपरिवर्तनीय को छोड़कर अधिमानी ;

(ख) पचपन प्रतिशत की कटौती दर पर आरक्षितियों का पुनर्मूल्यांकन ;

(ग) उस सीमा तक सामान्य उपबंध तथा हानि आरक्षितियां जिस तक वे किसी विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति में मूल्य की वास्तविक कमी या अभिज्ञेय संभाव्य हानि के कारण न हो सकने वाली मानी जा सकती है और परिसंपत्तियों के नियत जोखिम सवा प्रतिशत तक अप्रत्याशित हानियों को चुकाने के लिए उपलब्ध हैं ;

(घ) हाइब्रिड ऋण पूंजी लिखत; और

(ङ) अधीनस्थ ऋण

उस सीमा तक जिसका योग टियर-1 पूंजी से अधिक न हो ।

(2) अन्य शब्द या अभिव्यक्तियां जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण प्रतिमानक (रिजर्व बैंक) निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 या अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 में प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम या उन निदेशों के अधीन समय-समय पर उनको समनुदेशित किए गए हैं कोई अन्य शब्द या पद के, जो उस अधिनियम में, के या उन निदेशों में परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे जो उनके कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में हैं ।

3. आय की मान्यता

(1) आय की मान्यता मान्यताप्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है । वित्तीय लेखों को लागू लेखा मानकों के अनुसार उपचित पद्धति के तहत ऐतिहासिक लागत पर चालू आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन तैयार किया जाता है।

जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया है वहां गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर आय को, जब और जैसे ही उसे प्राप्त किया जाता है तथा विनियोग किया जाता, मान्यता दी जाती है ।

जब तक अन्यथा सहमति न हो जाए उधारकर्ता से वसूलियां (i) आरईसी लागत और खर्च (ii) ब्याज कर सहित दंडस्वरूप ब्याज, यदि कोई हो (iii) ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो और (iv) मूलधन का चुकौती, पुराने को पहले समायोजित करके ।

ऐसे ऋणों की बाबत, जिनके निबंधन पुनः बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं । पुनः नियत किए जाते हैं । पुनः विनिर्मित किए जाते हैं, आय को उपचित आधार पर तब मान्य ठहराया जाएगा जब युक्तियुक्त रूप से यह आशा की गई है कि उधार लेने वालों से बकायों की प्राप्ति की कोई अनिश्चितता नहीं है और विधिक रूप से करार का आबद्धकर ज्ञापन निष्पादित कर लिया गया है तथा उसके स्थान पर सहमति पत्र की प्रभावी

तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनः बातचीत द्वारा तय किए गए या पुनः नियत किए गए या पुनः निर्मित किए निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन रहा है ।

(2) ब्याज/बट्टा या गैर निष्पादन परिसंपत्ति पर किसी अन्य प्रभार सहित आय के केवल तब मान्य ठहराई जाती है जब इस वास्तविक रूप से वसूल किया जाता है । परिसंपत्ति से पूर्व मान्य ठहराई गई कोई ऐसी आय गैर-निष्पादन परिसंपत्ति बन जाती है और शेष वसूल न की गई प्रत्यावर्तित हो जाती है ।

(3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किस्तें 12 मास से अधिक अतिदेय है वहां आय केवल तब मान्य ठहराई जाएगी जहां किराया प्रभार वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। किसी परिसंपत्तियों से पूर्व लाभ और हानि के क्रेडिट में ली गई ऐसी आय गैर-निष्पादनकारी बन जाती है और शेष वसूल न की गई प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

(4) पट्टा परिसंपत्तियों की बाबत, जहां पट्टा किराया 12 मास से अधिक अतिदेय है, वहां आय केवल तब मान्य होगी जब पट्टा किराया वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं । परिसंपत्ति से पहले लाभ तथा हानि के क्रेडिट में लिया गया शुद्ध पट्टा किराया गैर-निष्पादनकारी बन जाता है और शेष वसूल न किया गया, प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "शुद्ध पट्टा किराया" से लाभ तथा हानि लेखे में विकलित/जमा पट्टा समायोजन लेखा द्वारा यथा समायोजित सकल पट्टा किराया और जिसमें से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर पर मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाता है ।

4. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों तथा म्यूचुअल फंड की इकाइयों के शेयरों पर लाभांशों से प्राप्त आय नकद आधार पर लेखे में ली जाएगी :

परंतु कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय उपचित आधार पर लेखे में तब ली जा सकती है जब ऐसा लाभांश कारपोरेट निकाय द्वारा इसकी आम बैठक में घोषित कर दिया गया है और भुगतान को प्राप्त करने का आरईसी का अधिकार स्थापित हो जाता है ।

(2) कारपोरेट निकायों के बंधपत्रों तथा डिबेंचरों और सरकारी प्रतिभूतियों/बंधपत्रों से प्राप्त आय उपचित आधार पर खाते में ली जाएगी :

परंतु इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित है और ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है न कि बकायों में।

(3) निगमित निकायों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती जिसकी गारंटी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई है, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

5. लेखांकन मानक

भारतीय चार्टरित लेखा संस्थान (आईसीएआई)द्वारा जारी लेखांकन मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियें का अनुसरण किया जाता है ।

6. निवेशों का लेखांकन

(1) (क) कंपनी, निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई निवेश नीति का पालन करती है ;

(ख) चालू तथा दीर्घकालिक निवेशों में निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए मानदंड को निवेश नीति में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार किया जाएगा ;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में निवेश को चालू तथा दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा ;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-श्रेणी अंतरण नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि अपेक्षा की जाए तो अंतर- श्रेणी अंतरण निदेशक मंडल के अनुमोदन से 1 अप्रैल को या 1 अक्तूबर को प्रत्येक छमाही के आरंभ होने पर ही किया जाएगा ;

(iii) निवेश बही मूल्य या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, चालू से दीर्घकालिक अथवा विलोमत: स्क्रिपवार अंतरित किया जाएगा ;

(iv) प्रत्येक स्क्रिप में मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ;

(v) एक स्क्रिप में मूल्यह्रास, ऐसे अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि उसी श्रेणी की स्क्रिपों के संबंध में भी, किसी अन्य स्क्रिप में मूल्यवृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।

(2) मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा, अर्थात्

(क) इक्विटी शेयर,
(ख) अधिमानी शेयर,
(ग) राजकोष बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,
(ङ) म्यूचुअल फंड की यूनिटें, और
(च) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक श्रेणी में निवेश पर स्क्रिपवार विचार किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी में लागत तथा बाजार मूल्य का सभी निवेशों के लिए योग किया जाएगा। यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए समग्र लागत से कम है, शुद्ध मूल्यह्रास लाभ तथा हानि खाते के लिए उपलब्ध कराया जाएगा या उसमें से देय होगा। यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य श्रेणी के लिए समग्र लागत से अधिक है तो शुद्ध मूल्यवृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। निवेशों की एक श्रेणी में मूल्यह्रास किसी अन्य श्रेणी में मूल्यवृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।

(3) चालू निवेशों की प्रकृति वाले अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर या अवशिष्ट मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाएगा। तथापि आरईसी, यदि आवश्यक समझे तो, शेयरों के अवशिष्ट मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य तय कर सकती है। जहां निवेशकारी कंपनी का तुलन पत्र दो वर्ष से उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन केवल एक रुपए पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति वाले अनुद्धृत अधिमान शेयरों को मूल्यांकन लागत या अंकित मूल्य पर, जो भी कम

हो, किया जाएगा।

(5) अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्रों में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) चालू निवेशों के प्रकृति वाले म्यूचुअल निधियों की इकाइयों में अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक विशिष्ट स्कीम की बाबत म्यूचुअल निधि द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाएगा।

(8) दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन भारतीय चार्टरित लेखा संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पण : अनुद्धृत डिबेंचरों को आय मान्यता तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करते हुए दीर्घकालिक ऋण या अन्य प्रकार की क्रेडिट सुविधाओं के रूप में समझा जाएगा ।

7. परिसंपत्ति वर्गीकरण

(1) आरईसी, सुपरिभाषित क्रेडिट खामियों की मात्रा तथा वसूली के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखने के पश्चात्, अपनी पट्टे/किराया खरीद परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों और किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात् :-

(i) मानक परिसंपत्तियां ;

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां ;

(iii) संदेहास्पद परिसंपत्तियां; और

(iv) हानि परिसंपत्तियां

(2) ऊपर्युक्त संदर्भित परिसंपत्तियों को श्रेणी को पुनर्निर्धारण करने के परिणामस्वरूप तब तक उन्नत नहीं किया जाएंगा जब तक कि इसमें उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया गया हो ।

(3) विवेकपूर्ण प्रतिमानकों तथा उपबंधकारी प्रतिमानकों के अनुप्रयोग के प्रयोजनों हेतु,

(i) राज्य/केंद्रीय क्षेत्रक संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं पर ऋणवार विचार किया जाता है ।

(ii) अन्य संगठनों को प्रदान की गई सुविधाओं पर उधारकर्ता-वार विचार किया जाता है ।

8. उपबंधकारी अपेक्षाएं

आरईसी, गैर-निष्पादनकारी बनने वाले खाते, उस रूप में उसकी मान्यता, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समयोपरि ह्रास के बीच समय अंतर, पर विचार करने के पश्चात् इसमें नीचे दी गई अवमानक परिसंपत्तियों, संदेहास्पद परिसंपत्तियां तथा हानि परिसंपत्तियों के लिए उपबंध करती है :

1. ऋण, अग्रिम तथा अन्य क्रेडिट सुविधाएं जिनमें क्रय तथा बट्टा किए गए बिल भी शामिल हैं ।

ऋण, अग्रिम तथा अन्य इक्विटी सुविधाओं जिनमें क्रय तथा बट्टा किए गए बिल भी है, की बाबत उपबंधकारी अपेक्षा निम्नवत् होगी :

(i) हानि परिसंपत्तियां: संपूर्ण परिसंपत्ति बट्टे खाते में डाल दी जाएगी । यदि किसी कारण से परिसंपत्तियां बहियों में रहने दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती हैं, तो 100 प्रतिशत बकाया का उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां -

(क) प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, जिसके लिए आरईसी के पास एक विधिमान्य वसूली -अधिकारी है। द्वारा अग्रिम आवृत्त किए जाने की सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएग। वसूली योग्य मूल्य का वास्तविक आधार पर आकलन किया जाएगा; किसी राज्य सरकार के लिए केंद्रीय योजना आबंटन या ऋण से कटौती के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार गारंटी या राज्य सरकार उपक्रम के अंतर्गत आने वाले ऋण सुरक्षित समझे जाएंगे;

(ख) ऊपर्युव्त मद (क) के अतिरिव्त, उस अवधि पर निर्भर करते हुए जिसके लिए परसंपत्ति संदिग्ध रही है, सुरक्षित भाग (अर्थात् बकायों का प्राक्कलित वसूली-योग्य मूल्य) का 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति संदेहास्पद समझी गई है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(iii) अवमानक परिसंपत्तियां 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा

2. पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां

किराया खरीद तथा पट्टाकृत परिसंपत्तियों के संबंध में उपबंधकारी अपेक्षाएं निम्नवत होंगी :

किराया- खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया-खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में; निम्नलिखित द्वारा घटाने के रूप में कुल देय (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर)

(क)ऐसे वित्त प्रभार जो लाभ तथा हानि के खाते जमा नहीं किए गए हैं और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में अग्रेनीत किए गए हैं; और

(ख) अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए :

(1) परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सटीक पद्धति पर बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर मूल्यह्रास में से घटाकर आने वाली परिसंपत्ति की मूल लागत के रूप में वैचारिक रूप से संगणित की जाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्ति की दशा में, मूल लागत ऐसी पुरानी परिसंपत्ति के अर्जन के लिए उपगत वास्तविक लागत होगी ।

<u>किराया खरीद तथा पट्टाकृत परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त उपबंध</u>

(ii) किराया खरीद तथा पट्टाकृत परिसंपत्तियों के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(क) जहां किराया-खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास तक देय है- शून्य

अवमानक परिसंपत्तियां :

(ख) जहां किराया-खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास से अधिक परंतु 24 मास तक अतिदेय है – -निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत ।

संदिग्ध परिसंपत्तियां :

(ग) जहां किराया-खरीद या पट्टा किराया की भी कोई राशि 24 मास से अधिक परंतु 36 मास तक अतिदेय है – -निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत ।

(घ) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 36 मास से अधिक परंतु 48 मास तक अतिदेय है - शुद्ध बही मूल्य का 70 प्रतिशत

हानि परिसंपत्तियां :

(ङ) जहां किराया-खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 48 मास से अधिक अतिदेय है-निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत ।

(iii) किराया- खरीद की अंतिम किस्त की देय तारीख के पश्चात् 12 मास की अवधि के समाप्ति पर, समग्र निवल बही मूल्य का प्रावधान किया जाएगा ।

टिप्पणी :

(1) किराया-खरीद करार के अनुसरण में आरईसी के पास उधारकर्ता द्वारा रखे गए जमानती रुपया/अतिरिक्त धन या प्रतिभूति निक्षेप की रकम की, यदि करार के अधीन समान मासिक किस्तों की गणना करते समय पहले हिसाब में नहीं ली गई है ऊपर्युक्त खंड (i) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार कटौती की जा सकेगी किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य की ऊपर्युक्त खंड (ii) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार ही कटौती की जा सकेगी ।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य सहित, पट्टा करार के अनुसरण में

आरईसी के पास उधारकर्ता द्वारा रखे गए प्रतिभूति निक्षेपों की रकम की ऊपर खंड (ii) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार ही कटौती की जाएगी।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों पर आय मान्यता तथा उसके विरुद्ध उपबंध करना विवेकपूर्ण मापदंडों के दो भिन्न पहलू हैं और इन प्रतिमानकों के अनुसार उपबंध पट्टा समायोजन खाते में अतिशेष का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास बही मूल्य सहित कुल बकाया अतिशेषों पर गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों पर, किए जाने अपेक्षित है । यह तथ्य कि गैर-निष्पादन परिसंपत्ति पर आय का मान्यता नहीं दी गई है, उपबंध न करने के लिए, कारण नहीं माना जा सकता है।

(4) कोई परिसंपत्ति जिसे इन निदेशों के पैरा (2)(xv) (ख) में निर्दिष्ट अनुसार पुन: परक्रामणित है, या पुनः नियत किया गया है या पुनः निर्मित किया गया है अवमानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिसमें यह, यथा स्थिति, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति के रूप में इसके पुनः परक्रामणित या पुनः नियत या पुनः निर्मित से किए जाने से पूर्व थी । आवश्यक उपबंध ऐसी परिसंपत्ति को यथा लागू उसके उन्नत किए जाने तक किया जाना अपेक्षित है ।

(5) सभी वित्तीय पट्टों पर ऐसी उपबंधकारी अपेक्षाएं लागू होगी जो किराया खरीद परिसंपत्तियें को लागू होती हैं ।

9. तुलन पत्र में प्रकटन

(1) आरईसी, ऊपर पैरा 8 के अनुसार किए गए प्रावधानों को उन्हें आय या परिसंपत्तियें के मूल्य के अनुसार निवल लाभ के रूप में प्राप्त किए बिना अपने तुलन पृथक रूप से प्रकट करेगा ।

(2) इन प्रावधानों को निम्नवत रूप में पृथक लेखा शीर्षों के तहत सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा:

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; और
(ii) निवेशों में ह्रास के लिए प्रावधान।

(3) ऐसे प्रावधानों को आरईसी द्वारा धारित साधारण प्रावधानों तथा हानि आरक्षतियें, यदि कोई हो, से अलग नहीं रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे प्रावधानों को लाभ और हानि लेखा में विकलित किया जाएगा । साधारण प्रावधानों तथा हानि आरक्षति शीर्षों के अधीन धारित अधिक प्रावधानों का, यदि कोई हो, उनके प्रति समायोजन किए बिना प्रति लेखन किया जाएगा ।

9क. लेखा परीक्षा समिति का गठन

आरईसी ने एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें उसके निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

स्पष्टीकरण : 1 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क की अपेक्षानुसार आरईसी द्वारा गठित की गई लेखापरीक्षा समिति, इस पैरा के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षा समिति होगी :

स्पष्टीकरण -।। : इस पैरा के अधीन गठित लेखापरीक्षा समिति की वही शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क में निर्धारित हैं।

9ख. लेखांकन वर्ष

आरईसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार अपना तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करेगा ।

9खख. तुलन पत्र की अनुसूची

आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विशिष्टया संलग्न करेगा।

9ग. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

(1) आरईसी

(i) अपना निवेश किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के पास खोले गए कानसटि्टयूंट सब्सिडयरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार के साथ खोले गए डिमेटिरियलाइज्ड खाते में अनुमोदित प्रतिभूतियां रखेगा ; और

(ii) अपने सीएसजीएल खाते या अपने डिमेटिरियलाइज्ड खाते के माध्यम से ही इन प्रतिभूतियों में लेनदेन करेगा ।

(2) आरईसी किसी दलाल के साथ प्रत्यक्ष रूप में इन प्रतिभूतियों में लेनदेन नहीं करेगा।

10. पूंजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षाएं

आरईसी, एनबीएफसी के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियें की तथा तुलन-पत्र से बाहर की जोखिम द्वारा समायोजित मूल्य की टियर-1 तथा टियर-।। पूंजी के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखेगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पद्धति के अनुसार संगणित किया जाएगा।

किसी भी समय टियर-।। पूंजी का योग टियर-। पूंजी एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पर्याप्तता अनुपात ऐसी प्रतिशतता पर बनाए रखा जाएगा जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात से कम होगा, **(जो कि आईएफसी हेतु वर्तमान में 15 प्रतिशत है)**।

जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी का परिकलन करने में, राज्य सरकार आरईसी के गारंटीकृत ऋण, जो चूक के दायरे में नहीं हैं, 20% के एक जोखिम भार को समनुदेशित करेगी जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन14.18-014/2009-2010 दिनांक 29 जून 2010 में मंजूर किया गया है।

11. भूमि तथा भवन और अनुद्धृत शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

(i) यदि आरईसी सरकारी निक्षेपों को स्वीकार कर रही है, तो यह निम्नलिखित में :-

(क) अपने ही प्रयोग के सिवाय भूमि या भवन में अपनी स्वधिकृत निधियों का दस प्रतिशत से अधिक होने पर;

(ख) ऐसी किसी अन्य कंपनी के अनुद्धृत शेयरों में जो आरईसी की अनुषंगी कंपनी या उसी समूह की कंपनी नहीं है, अपने स्वधिकृत निधियों के बीस प्रतिशत से अधिक होने पर।

परंतु अपने ऋणों के चुकाए जाने में अर्जित भूमि, या भवन या अनुद्धृत शेयरों का ऐसे अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरईसी द्वारा निपटान तब किया जाएगा, जब आरईसी द्वारा पहले से ही धारित ऐसी परिसंपत्तियों सहित इन परिसंपत्तियों में निवेश उपरोक्त अधिकतम सीमा से अधिक है।

स्पष्टीकरण: अनुद्धृत शेयरों में निवेश पर अधिकतम सीमा संगणित करते समय सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश का योग किया जाएगा।

परंतु साथ ही अनुद्धृत शेयरों के निवेश पर अधिकतम सीमा निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञा की गई सीमा तक किसी बीमा कंपनी की साधारण पूंजी में निवेश की बाबत लागू नहीं होगी।

12. क्रेडिट/निवेश का संकेन्द्रण

(1) आरईसी

(i) ऋण के मामले में

(क) किसी एकल उधारकर्ता को अपनी स्वधिकृत निधियों से पच्चीस प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगा; तथा

(ख) उधारकर्ताओं के एकल समूह को अपनी स्वधिकृत निधियों से पैंतालीस प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगा।

(ii) निवेश के मामले में

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वधिकृत निधियों में से पंद्रह प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगा; तथा

(ख) कंपनियों के किसी एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वधिकृत निधियों में से पच्चीस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगा।

(iii) उधार और निवेश (ऋण/निवेश को एक साथ मिलाकर) के मामले में -

(क) किसी एकल पार्टी के लिए अपनी स्वधिकृत निधियों से तीस प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करेगा; तथा

(ख) पार्टियों के किसी एकल समूह के लिए अपनी स्वधिकृत निधियों से पचास प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं ळॅर्ट्रें

परंतु साथ ही क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण पर उपरोक्त अधिकतम सीमाएं सरकारी कंपनी या किसी सरकारी वित्तीय संस्था या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमोदित प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी ।

परंतु साथ ही किसी अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश पर उपरोक्त अधिकतम सीमा निदेशक मंडल द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञा सीमा तक किसी बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी ।

ख. राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों/केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु ऋण के संबंध में लागू :

राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों/केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु ऋण के संबंध में निम्नलिखित समग्र परिसीमाओं के अंतर्गत संगठन मूल्यांकन के आधार पर पृथक प्रकटन परिसीमाओं को निर्धारित किया गया है:-

1. राज्य विद्युत यूटिलिटी (जहां एक से अधिक डिस्कॉम नहीं बनाए गए हैं वहां एकीकृत रा.बि.बो.और राज्यों के डिस्कॉम से भिन्न)/ विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए आरईसी का निवल मूल्य का 100 प्रतिशत ।

2. डिस्कॉम के लिए (राज्यों में जहां वितरण कार्य की देखभाल करने के लिए एकल डिस्कॉम बनाए गए हैं) आरईसी के निवल मूल्य का 200 प्रतिशत ।

3. एकीकृत रा.बि.बो.के लिए आरईसी के निवल मूल्य का 250 प्रतिशत ।

4. ऊपर्युक्त श्रेणी 1 से 3 तक के अलावा केंद्रीय/ राज्य क्षेत्र/ संयुक्त क्षेत्रक उधारकर्ता के लिए आरईसी के निवल मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(2) आरईसी अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक कंपनियों के एकल समूह को उधार नहीं देगा । तथापि आरईसी आपवादिक परिस्थितियों में निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से प्रत्येक मामले में अपने स्वामित्वाधीन निधियों की और 5 प्रतिशत तक अरक्षितता पर विचार कर सकेगा ।

टिप्पणी :

(1)(क) जहां एकल वितरण कंपनी विद्यमान है (जिसे अभी खोला नहीं गया है) वहां राज्य में आरईसी के निवल मूल्य का प्रकटन सीमा 100 प्रतिशत से अधिक तथा 200 प्रतिशत तक और एकीकृत रा.बि.बो.के लिए आरईसी का शुद्ध मूल्य का 250 प्रतिशत तक केवल वहां अनुज्ञा किया जाएगा जहां पीएफसी ने संबंध राज्य/ यूटिलिटी को "क" या "क +" श्रेणी के रूप में दर्जा दिया है/वर्गीकृत किया है ।

(ख) प्रकटन सीमा में से एकीकृत रा.बि.बो.के लिए आरईसी के शुद्ध मूल्य का 250 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया गया है, उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रकटन सामान्यतः आरईसी के शुद्ध मूल्य के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ग) पारेषण और वितरण परियोजनाओं की दशा में आरईसी की शुद्ध मूल्य के 100 प्रतिशत की सीमा से परे प्रकटन के लिए ।

(i) जहां विद्यमान समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियां 30 प्रतिशत से अधिक है वहां उधार लेने वाले संगठन उस परियोजना के लिए न्यूनतम 2 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष हानियों को 30 प्रतिशत का स्तर

प्राप्त करने तक कम करेगा ।

(ii) जहां विद्यमान समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियां 30 प्रतिशत से कम लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक है वहां उधार लेने वाले परिसंपत्ति उस परियोजना के लिए न्यूनतम 1 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष क्षतियों को 20 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करने तक कम करेगा ।

(iii) उपरोव्त (क) और (ख) में संदर्भित समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों के लिए आधार तिथि परियोजना की स्वीकृति वाले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च होगी।

(2) उपरोव्त प्रकटन सीमाओं का निर्धारण करने के लिए तुलन-पत्र से बाहर प्रकटनों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा उपबंधित परिवर्तन कारकों को लागू करके क्रेडिट जोखिम में संपरिवर्तित किया जाए।

(3) उपर्युव्त परियोजन हेतु डिबेंचरों में निवेश को क्रेडिट के रूप में न कि निवेश के रूप में समझा जाए ।

(4) क्रेडिट/निवेश पर उपरोव्त अधिकतम सीमाएं आरईसी के अपने ही समूह और साथ ही में उधारकर्ता/निवेशकारी कंपनियों के अन्य समूह को लागू होंगी।

(5) इस प्रयोजन के लिए क्रेडिट प्रकटन की सभी स्कीमों (गारंटी सहायता सहित) और निष्पादित ॠणों के लिए असंवितरीत प्रतिबद्धताओं के अधीन बकाया क्रेडिटों के रूप में गणना की जाएगी। आरईसी की निवल संपत्ति को अंतिम लेखापरीक्षित/अनंतिम (तिमाही/छमाही)लेखों के अनुसार लिया जाएगा।

(6) उन सभी मामलों में जहां कारपोरेशन या तो क्रेडिट के रूप में या निवेश के रूप में मुख्य प्रकटन अपनाने पर विचार करता है वहां कारपोरेशन उधारकर्ता संगठन के निदेशक मंडल(निदेशकों) के नामांकन की शर्त अधिरोपित करेगा और ऐसे नामांकन या तो कारपोरेशन के भीतर से या अन्यथा, जैसा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय किया जाए, करेगा।

13. भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करना

आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को, जिसकी अधिकारिता में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अधीन इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

13क. पते में परिवर्तन, निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि के बारे में सूचना का तब प्रस्तुत किया जाना जब सरकारी निक्षेप को स्वीकार/धारण नहीं किया जा रहा है ।

आरईसी निम्नलिखित विषयों में किसी परिवर्तन के होने से एक मास के भीतर निम्नलिखित सूचित करेगा:

(क) पंजीकृत/कारपोरेट कार्यालय का संपूर्ण डाक-पता, टेलीफोन सं. तथा फैक्स संख्या;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा उनकें निवास के पते;

(ग) इसके प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके सरकारी पदनाम;

(घ) कंपनी के लेखापरीक्षकों के नाम एवं कार्यालय पते;

और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सरकारी निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश 1998 की दूसरी अनुसूची में यथा इंगित भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूने हस्ताक्षर भेजेगा।

13ख. अवसंरचनात्मक ऋण संबंधी प्रतिमान

(1) **अनुप्रयोज्यता**

(i) ये मापदंड इन मापदंडों के पैरा 2(1)(viiक) में यथा परिभाषित अवसंरचनात्मक ऋण जो पूर्णतया या अंशत: प्रतिभूत मानक तथा अवमानक परिसंपत्ति है, और उस ऋण से, जो निबंधनों के पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनर्विमर्शित के अध्यधीन है, से संबंधित करार के निबंधनों को पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनर्विमर्शित को लागू होंगे ।

(ii) जहां परिसंपत्ति अंशत: प्रतिभूत की जाती है, वहां, वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित उपबंध से अलग, परंतु प्रज्ञावान मापदंडों के अध्यधीन, ऋणों के पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनर्विमर्शित करते समय उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा के लिए उपबंध किया जाएगा ।

(2) अवसंरचनात्मक ऋण के निबंधनों की पुनर्संरचना, पुनर्नियतीकरण और पुनर्परक्रामण

आरईसी, परिसंपत्ति के अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात् कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीति कार्यपद्धति के अनुसार अवसंरचनात्क ऋण करार के निबंधनों की पुनर्संरचना या उनको पुनर्निर्धारण या पुनर्परक्रामण कर सकेगा।

परंतु साथ ही मूलधन और/या ब्याज की पुनर्संरचना और/या उसे पुनर्निर्धारण और/या पुनर्परक्रामण, पुनर्संरचना या पुनर्निधारण या पुनर्परक्रामण करने वाले पैकेज विकसित करने के अतिरिव्त त्याग सहित या त्याग रहित हो सकेगी ।

(3) **पुनर्संरचनित मानक ऋण का निरूपण**

किसी मानक परिसंपत्ति की पुननिर्धारण या पुनर्संरचना करने या पुनर्परक्रामण करने से इसे पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि पुनरीक्षित परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्य पाई जाती है।

(4) **पुनर्संरचनित अवमानक परिसंपत्ति का निरूपण**

एक वर्ष की समाप्ति तक अवमानक परिसंपत्ति मूलधन की किस्तों के पुनर्संरचना करने या उनके पुनर्नियतीकरण या पुनर्परक्रामण की दशा में उसी श्रेणी में बनी रहेंगी और समायोजन के मद्दे जिसके अंतर्गत बाद में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के तत्व में पिछले ब्याज देय के अपलिखित किए जाने के रूप में समायोजन भी है, छोड़ी गई ब्याज की रकम, यदि कोई हो, मान्यता प्राप्त नहीं होगी।

(5) **ब्याज का समायोजन**

जहां ब्याज की दर में कटौती में पुनर्नियतीकरण या पुनः परक्रामण या पुनर्संरचना अंतर्वलित है वहां ब्याज समायोजन अवसंरचना ऋण (उधारकर्ता को लागू जोखिम रेटिंग के लिए यथा समायोजित) को वर्तमान रूप

में लागू ब्याज की दर और पुनर्संरचना, पुनर्नियतीकरण या पुनर्परक्रामण प्रस्थापना में अनुबंधित इस प्रकार संदेय भावी ब्याज की वर्तमान मूल्य (जोखिम वृद्धि के लिए समायोजित अवसंरचना ऋण को वर्तमान में लागू दर पर छूट) के योग के बीच अंतर को लेकर संगणित किया जाएगा।

(6) वित्त पोषित ब्याज

गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के बाबत ब्याज के वित्तपोषण की दशा में, जहां वित्तपोषित ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है वहां वित्तपोषित ब्याज का पूर्ण रूप से उपबंध किया जाएगा ।

(7) आय मान्यता संबंधी प्रतिमानक

अवसंरचना ऋण की बाबत आय मान्यता इन निदेशों के पैरा 3 के उपबंधों द्वारा परिसंपत्ति की जाएगी ।

(8) पुनर्संरचनित अवमानक अवसंरचना ऋण के उन्नयन के लिए पात्रता

पुनर्नियतीकरण और/या पुनर्परक्रामण और/या पुनर्संरचना करने के अधीन रहते हुए अवमानक परिसंपत्ति चाहे वह मूलधन या ब्याज की रकम, चाहे वह किसी भी पद्धति से हो, की किस्तों के संबंध में हो, पुनर्संरचना और/या पुनर्नियतीकरण और/या पुनर्परक्रामण संबंधी निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक मानक श्रेणी में उन्नत नहीं की जाएगी ।

(9) ऋण का इक्विटी में परिवर्तन

जहां ब्याज के रूप में देय रकम इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित की जाती है और आय को परिणामस्वरूप मान्यता दी जाती है वहां ऐसी आय मान्यता के प्रभाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार मान्य ठहराई गई आय की रकम के लिए पूर्ण उपबंध किया जाएंगा :

परंतु कोई उपबंध किया जाना अपेक्षित नहीं है यदि इक्विटी में ब्याज का इक्विटी, जिसका उल्लेख किया गया है, में परिवर्तन किया गया है;

परंतु साथ ही कि ऐसे मामलों में ब्याज की आय को, परिवर्तन की तारीख को इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की रकम से अनधिक इक्विटी के बाजार मूल्य पर मान्यता दी जा सकेगी।

(10) **ऋण का डिबेंचरों में परिवर्तन:**

जहां गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियें की बाबत मूलधन और/या ब्याज रकम डिबेंचरों में परिवर्तित कर दी जाती है वहां ऐसी डिबेंचरों को उसी परिसंपत्ति के वर्गीकरण में आरंभ से ही गैर-निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में समझा जाएगा जो परिवर्तन से ठीक पूर्व ऋण को लागू था और प्रतिमानकों के अनुसार उपबंध किया जाएगा ।

(11) ट्रिप्पल एएए रेटिंग वाले प्रतिभूत कागज-पत्र में निवेश के लिए जोखिम की मात्रा

अवसंरचना सुविधा से संबंधित ट्रिप्पल "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूत कागजात में निवेश को निम्नलिखित शर्तों

के पूरे किए जाने के अधीन पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत का जोखिम निर्धारण लागू होगा।

(i) अवसंरचना सुविधा आय/नकद प्रभाग को उत्पन्न करता है जो प्रतिभूत कागज-पत्र की सर्विसिंग/चुकौती को सुनिश्चित करता है ।

(ii) किसी एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग वर्तमान में चल रही है और वैध है ।

स्पष्टीकरण : विश्वास की गई रेटिंग को चालू और वैध समझा जाएगा यदि रेटिंग इश्यू के खुलने की तारीख को एक मास से अधिक पुरानी नहीं है, और इश्यू के खुलने की तारीख को रेटिंग एजेंसी से रेटिंग रेसनेल एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग रेसनेल प्रस्थापना दस्तावेज का भाग रूप है ।

(iii) गौण बाजार अर्जन की दशा में इश्यू की ट्रिप्पल "एएए" रेटिंग प्रवर्तन में है और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से पुष्ट है;

(iv) प्रतिभूत कागजात एक निष्पादनकारी परिसंपत्ति ही है।

(12) छूट

निदेशक मंडल, यदि वह किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य न्यायसंगत तथा पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक समझता है, या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह अधिरोपित करे, इन निदेशों के सभी उपबंधों या उनमें से किसी उपबंध का अनुपालन करने या उनसे छूट प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार प्रदान कर सकेगा।

(13) निर्वचन

इन प्रतिमानकों के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं।